भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1958

उत्तर देने की तारीख-06/08/2025

उच्च शिक्षा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व

1958 # **श्रीमती महुआ माजी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, विशेषकर व्यावसायिक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई आंतरिक मूल्यांकन या तीसरे पक्ष द्वारा समीक्षा करवाई है, यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) विशेष रूप से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के संकाय सदस्यों की भर्ती और पदोन्नति के लिए, क्या केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में संकाय विविधता में सुधार के लिए कोई पहल की गई है अथवा कोई प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं।
ii. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)/राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) के लिए एससी/एसटी छात्रों और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों हेतु कोचिंग योजना।
iii. एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए रेमेडियल कोचिंग।
iv. उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में उच्चतर शिक्षा को किफायती बनाने के लिए समाज के आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को अवर स्नातक कार्यक्रम की ट्यूशन फीस में छूट दी जाती है। इसमें एससी/एसटी और दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्ण शुल्क माफी और आर्थिक

रूप से कमजोर छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से कम है) के लिए पूर्ण शुल्क छूट तथा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच है) के लिए शुल्क में दो-तिहाई छूट शामिल है।

उच्चतर शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत तीन घटक योजनाओं नामत: (i) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, (ii) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, (iii) केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को लागू कर रहा है। नवंबर, 2024 में भारत सरकार ने "पीएम विद्यालक्ष्मी" नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मेरिट के आधार पर प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को योजना के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन ज़मानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का उच्च शिक्षा में नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाना है।

सरकार की विभिन्न पहलों के कारण, वर्ष 2014-15 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के नीचे दिए गए डेटा से पता चलता है:

सर्वेक्षण वर्ष	एससी	एसटी	ओबीसी	सभी अल्पसंख्यक
2022-23 (अनंतिम)	69,13,067	28,71,973	1,74,05,044	32,90,326
2021-22	66,22,923	27,10,678	1,63,36,460	30,13,192
2014-15	46,06,666	16,40,809	1,12,56,849	21,83,184

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए "पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" लागू कर रहा है, जो पात्र एससी छात्रों को उनकी पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सैकेंडरी शिक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य एससी छात्रों की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।

भारत सरकार ने "केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019" अधिनियमित किया है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, पोषित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के संवर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी समय-समय पर विश्वविद्यालयों को उनके रिक्त पदों, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं, को भरने हेतु निर्देश जारी करते रहते हैं।
